बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या :– 1/PMC/विविध/931/2013 .... पटना, दिनांक ....

कार्यालय आदेश

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध परामर्शियों के विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के निमित विभागीय आदेश सं0 1/PMC/विविध/931/2013–08/–90, दिनांक 15.07.2016 के माध्यम से प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रियॉ को कार्यहित में निम्नरूपेण विस्तारित किया जाता है :–

1. परामर्शी कार्य के लिए निर्गत किये जाने वाले आर0एफ0पी के Term of Reference का पूर्ण विवेचना आर0एफ0पी0 निर्गत करने के पूर्व मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना इस कार्य से संबंधित अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल–2, पटना से कर लें।
2. परामर्शी को दिये जाने वाले कार्य के लिए समयवधि का विश्लेषण पूर्व में ही कर आर0एफ0पी तैयार किया जाय, ताकि कार्य आवंटन के उपरांत परामर्शी निधारित समयावधि में उस कार्य को पूर्ण कर सके।
3. परामर्शी से संबंधित कार्य को Pre-bid conference सिंचाई भवन अवस्थित सभा कक्ष में किया जाय। महत्वपर्ण योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार Pre-bid conference नई दिल्ली अवस्थित सम्पर्क कार्यालय में किया जाय एवं इसकी सूचना मुख्यालय को भी दी जाय।
4. मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना अपने स्तर से एक कार्यपालक अभियंता को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो मुख्यतः निर्गत होने वाले आर0एफ0पी की समीक्षा करेंगे।

27/12/16

(इन्दु भूषण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :–1/PMC/विविध/931/2013 516 पटना, दिनांक 28/12/2016

प्रतिलिपिः– सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग एवं सिंचाई अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कम्प्यूटर कोषांग, पटना एवं स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/12/16

(इन्दु भूषण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

Avi/rks 117